

संविधानिक मूल्य और हिंदी कविता

प्रा.हिरामण देवराम टोंगारे हिंदी विभागप्रमुख राजे रामराव महाविद्यालय, जत, जि. सांगली

चिंतन के केंद्र में समाज और व्यक्ति के आने से आधुनिक काल की शुरुवात मानी जाती है. आधुनिक काल की विचार प्रणाली, शासन व्यवस्थाएं सामने आई. व्यक्तिगत विचारधारा और सामाजिक विचारधारा में सदैव बदलाव देखा गया . कभी सहयोगी तो कभी विरोधी संबंध पाये गए . इन दोनों को सहयोग पूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए लोकतंत्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही . लोकतंत्र को सामान्यतः राजतंत्र की विलोम शासन प्रणाली के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है . उसके अतिरिक्त यह एक अधिकार, स्वतंत्रता, बंधुता, और सम्पूर्ण जीवन का दर्शन है.

संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को दिए अपने आखिरी भाषण में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, "संविधान चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना हो इसकी कार्य कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसे लागू करने वाले लोग कैसे हैं." हालांकि एक संविधान चाहे जितना भी खराब हो सकता है, यह अच्छा भी हो सकता है अगर इसे अमल करने वाले लोग बहुत अच्छे हों तो." भारतीय गणतंत्र के शुरुआती जीवन से लेकर अब तक यह सवाल बना रहा है कि क्या संविधान जन-संविधान बन पाया है? मौजूदा दौर में यह सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है जब "संविधान की समझ और पुनर्व्याख्या एक राजनीतिक दल द्वारा अपने हिंदी हिन्दू हिंदुस्तान जैसे गैर संवैधानिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा हो. भारतीय संविधान की बनने की प्रक्रिया से लेकर इसे अपनाने के बाद से ही इसकी लोक - पहुंच को लेकर ही यह सवाल उठते रहे की ये एक "अभिजात दस्तावेज" है. डॉक्टर अम्बेडकर इस सम्बन्ध में कहते हैं "संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है यह जीवन का पहिया है."³

आज देश में संविधान और संविधानिक मूल्यों को खत्म किया जा रहा है. असल में भारत और भारतीयता की मूल पहचान भारत संविधान ही है. संविधान के बिना भारत और भारतीयता की कल्पना भी नहीं की जा सकती. ऐसे समय में संविधान और संविधानिक मूल्यों की रक्षा करना सरकार के साथ हर एक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है. लेकिन पिछले चार-पांच सालों में घटित घटनाओं का अगर हम जायजा लेंगे तो हम इस निष्कर्ष तक पहुंच जायेंगे की आज चंद लोगों द्वारा भारतीय संविधान की खत्म करने की साजिश चल रही है. और यह साजिश लोकतंत्र की आड में ही चल रही है. ऐसे तमाम षड्यंत्र एवं साजिशोंलोगों के सामने लाने का काम मशहूर कवि हरिओम पंवार ने 'मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं' इस कविता के माध्यम से किया है. वे लिखते हैं,

मैं भारत का संविधान हूं, लालकिले से बोल रहा हूं
मेरा अंतर्मन घायल है, दुःख की गांठें खोल रहा हूं
मैं शक्ति का अमर गर्व हूं, आजादी का विजय पर्व हूं
पहले राष्ट्रपति का गुण हूं, बाबा भीमराव का मन हूं
मैं बलिदानों का चन्दन हूं, कर्तव्यों का अभिनन्दन हूं
लोकतंत्र का उदबोधन हूं, अधिकारों का संबोधन हूं
मैं आचरणों का लेखा हूं, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूं
कभी-कभी मैं रामायण हूं, कभी-कभी गीता होता हूं
रावण वध पर हंस लेता हूं, दुर्योधन हठ पर रोता हूं
मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं
कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा
मेरा मन क्रन्दन करता है, जब कोई भूखा मरता है
मैं जब से आजाद हुआ हूं, और अधिक बर्बाद हुआ हूं
मैं ऊपर से हरा-भरा हूं, संसद में सौ बार मरा हूं
मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं
धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है
सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाये गांधी
लेकिन तुमने अधिकारों का, मुझसे लिखे उपचारों का

क्यों ऐसा उपयोग किया है, सब नाजायज भोग किया है
मेरा यूँ अनुकरण किया है, जैसे सीता हरण किया है।
मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी
मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी
हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली
शांति व्यवस्था हास्य हो गयी, विस्फोटों का भाष्य हो गयी
आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घर दासी है
न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है
पूरे कांप रहे आर्धों से, राजा डरता है प्यादों से
गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है
क्या अपराधिक चलन हुआ है, मेरा भी अपहरण हुआ है
मैं चोटिल हूँ क्षत विक्षत हूँ, मैंने यूँ आघात सहा है
जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका कराह रहा है
जिन्दा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ
मैं भारत का संविधान हूँ, लालकिले से बोल रहा हूँ
मैं लोहूँ में लथ पथ होकर जनपथ हर पथ डोल रहा हूँ
मैं भारत का संविधान हूँ लालकिले से बोल रहा हूँ”

भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता के तत्व पर चलता है. भारतीय संविधान के तहत किसी भी व्यक्ति या नागरिक के साथ उसका धर्म, जाति, वर्ण, भाषा, खानपान, वेशभूषा भेदभाव नहीं किया जायेगा. लेकिन केंद्र में स्थित सरकार ने जिस प्रकार से धर्म आधारित कानून बना दिए हैं, जिससे संविधानिक मूल्यखतरे में आ गये हैं. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपनी कविता " देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता " में लिखते हैं –

यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो
तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो ?
यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रहीं हों
तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो?

आजादी के अमृत महोत्सव के समय में आज सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता की गूंज में मनाई जा रही है. संविधान बनने और आजादी के ७५ वे साल में भी भारत अपने संविधानिक अस्तित्व को बनाये रखने की लड़ाई लड़ रहा है. यह कविता नागरिकों को उनकी नागरिकता बोध के लिए प्रश्न करने को प्रेरित करती है. नागरिक आजादी पर राज्य की पाबन्दी, संसदीय लोकतंत्र में विमर्श का घटता स्पेस, एवं बहुसंख्यक राज्य की तरह व्यवहार करती सत्ता लोगों को सक्सेना की कविता की कल्पना को वास्तविकता से रूबरू कराती है.

इसी प्रकार राघुवीर सहाय भी तिलमिलाहट का अनुभव करते हैं, यह बैचेनी केवल सत्ता के प्रति नहीं बल्कि उन लोगों के प्रति है जो जिंदगीभर चुप रहकर सहते हैं और उसके खिलाफ कदम नहीं उठाते. ओ अपनी बैचेनी 'सभी लुजलुजे है' कविता में व्यक्त करते हैं-

“खोखियाते है, किंकियाते है, घुन्नाते है,
चुल्लू में उल्लू हो जाते है ,.....
सभी लुजलुजे है , थुल थुल है,
लिब लिब है ,पिल पिल है
सबमें पोल है , सब में झोल है , सभी लुजलुजे है

हिंदी कविता में भारतीय संविधान में वर्णित सभी मूल्योंको आवाज दी है. भारतीय संविधान की धारा १९ जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित है. लेखकया नागरिक की अभिव्यक्ति की वकालत हिंदी के तमाम कवियों ने की है. 'अंधेरे में' नामक कविता में गजानन माधव मुक्तिबोध लिखते हैं,
अब अभिव्यक्ति के सारे

खतरे उठाने ही होंगे

तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब”

नागरिकता कानून ने हमारे देश के संविधान की नींव ही हिला डाली है. अपने ही देश में वे असहज महसूस कर रहे हैं. अपनी नागरिकता खोने का डर बहुत सारे लोगों के मन में है. ‘नागरिकता के सीमान्तों पर खड़े लोग’ कविता में उन लोगों की बात करते हैं, जो सरकार की नजर में देश के नागरिक नहीं हैं,

“नागरिकता के सीमान्त पर खड़े लोग आपकी तरह

मुस्कुराते हुए आधार कार्ड दिखा नहीं सकते

राशन कार्ड लिए हुए भी उनका दिल धड़कता रहता है

वे जानते हैं उन्हें कभी भी अनाज की जगह

जेल की सलाखें मिल सकती हैं

वे आपको अपना भूगोल दिखा सकते हैं, मानचित्र नहीं

वे गोद में अपनी

बिलखते बच्चों को दिखा सकते हैं, उनका भविष्य नहीं

वे आपको अपनी आंखें दिखा सकते हैं, रुदन नहीं

वे नदियों, नालों, पहाड़ों

और कंटिलेरास्तों को पार करते हुए

हमेशा किसी अनिश्चतता में पहुंचते हैं

यह उनकी खूबसूरती है कि

वे हर चीज को लांघते हुए

आदमियत के बंद दरवाजे को तोड़ते हैं.”

उपरोक्त सभी कविताओं से हमें पता चलता है की, संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा बल्कि भारतीय संविधान का उद्देश्य सिर्फ देश के लिए विधि व्यवस्था के अनुपालन के लिए ढांचे बनाना ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन भी सुनिश्चित करना है. हिंदी कविता संविधान के इसी उद्देश्य को काफी सशक्तता के साथ आगे लेकर जा रही है. संदर्भ:

१. <https://www.amarujala.com/kavya/irshaad/dr-hariom-panwar-best-poem-mai-bharat-ka-samvidhan-hu>

२. समकालीन हिंदी कविता; संपा: श्रीवास्तव परमानंद, साहित्य अकादेमी, दिल्ली, १९९०.

३. पत्थलगडी; लुगुन अनुज; वाणी प्रकाशन नयी दिल्ली.

४. आलोचना; संपा: आशुतोष कुमार; अंक तिरेसठ; अक्टूबर-दिसंबर २०२०.

५. सीढ़ियों पर धूप में : रघुवीर सहाय ; भारतीय ज्ञानपीठ, काशी- प्रथम संस्करण १९६०

६. अखेर विद्यार्थी का संतापले?; सतीशकुमार पडोळकर; परिवर्तनाचा वाटसरू, जानेवारी २०१९.

७. ‘नागरिक कोण आणि नागरिकत्व कोणाला?; सतीशकुमार पडोळकर; ‘द डेमपोस्ट’ जनवरी, २०२०.